फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 194/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/209) **मो.हनीफ के बजाय वारिसान बनाम राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.04.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री पी.सी.पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी 2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील अपीलार्थी-2 **अनवान** **मोहम्मद हनीफ पिता खुदबक्ष, निवासी बसाड़ तहसील व जिला प्रतापगढ़ के बजाय-** **1. मरीयम बेवा मोहम्मद हनीफ, निवासी बसाड़, तहसील व जिला प्रतापगढ़।** **2. सलीम पिता मोहम्मद हनीफ, निवासी बसाड़, तहसील व जिला प्रतापगढ।** **3. सुल्तान पिता मोहम्मद हनीफ, निवासी बसाड़, तहसील व जिला प्रतापगढ।** **अपीलार्थी** **1. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर जरिये कृषि प्रवेक्षक, उप केन्द्र प्रतापगढ़, तहसील व जिला प्रतापगढ़।** **2. सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़।** **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आवंटन आदेश क्रमांक राजस्व/12-3(88)/2712-17 दिनांक 04.09.1990**	

<u>निर्णय</u>

दिनांक 12.04.2023

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आवंटन आदेश क्रमांक राजस्व/12-3(88)/2712-17 दिनांक 04.09.1990 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- उपशासन सचिव, राजस्व ग्रुप-3 विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र संख्या प-6(245)राज/ग्रुप-3/88 दिनांक 12.06.1989 के द्वारा प्राप्त स्वीकृति अनुसार ग्राम बसाड एवं बनेडियाखुर्द तहसील प्रतापगढ़ के विभिन्न आराजीयात (क्रमशः बसाड-1500, 1501, 1502, 1504, 1498, 1389, 1497, 1273, 1274, 1275 एवं बनेडियाखुर्द-2) की भूमि जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक राजस्व/आवंटन/12-3(41)88/1430 दिनांक 16.06.1988 के द्वारा प्रतापगढ़ में कृषि अनुसंधान उप केन्द्र की स्थापना हेतु राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर को विभिन्न शर्तों के अधीन आवंटन की गई थी। पूर्वोक्त भूमि में से आराजी संख्या 1500 रकबा 1.25 हैक्टेयर उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़ की रिपोर्ट अनुसार भूप्रबन्ध के पूर्व निजी खातेदारी की थी, जिसे भूप्रबन्ध विभाग द्वारा चारागाह अंकित कर दिया है, उक्त भूमि पर खातेदार का कब्जा होने से व भूमि विवादित स्थिति में होने के कारण संस्थान को कब्जा नहीं दिया जा सका, इसके एवज संस्थान द्वारा इस भूमि के पास ही ग्राम बसाड़ की आराजी नम्बर 1499 रकबा 1.68 हैक्टेयर बंजड बिलानाम पड़त में से दिलाने की अनुशंसा की। जिससे पूर्व आदेश दिनांक 16.06.1989 के क्रम में पूर्व आराजी नम्बर 1500 रकबा 1.25 हैक्टेयर में आंशिक संशोधन किया जाकर उसके बजाय आराजी नम्बर 1499 कुल रकबा 1.68 हैक्टेयर में से 1.25 हैक्टेयर भूमि का अनुसंधान के पक्ष के आवंटन किये जाने का जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ का आदेश क्रमांक राजस्व/12-3(88)/2712-17 दिनांक 04.09.1990 पारित किया।

उक्त आदेश दिनांक 04.09.1990 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ समक्ष दिनांक 02.06.2016 को मयाद बाहर अपील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 194/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/209) **मो.हनीफ के बजाय वारिसान बनाम राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रस्तुत की। उक्त अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का संलग्न किया। राजस्व विभाग ग्रुप-6, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में उक्त प्रकरण न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449-50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 24.03.2021 को दर्ज की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलार्थी के फौत होने से उसके वारिसान को भी दिनांक 11.10.2021 को अभिलेख पर लिये जाने का आदेश पारित किया गया।

दिनांक 31.03.2023 को अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि विवादित आराजीयात में से आराजी संख्या 1497 रकबा 0.25 हैक्टेयर पूर्व में अपीलान्ट के वसीयतकर्ता शब्बीर पिता खुदाबक्ष मुसलमान के खातेदारी का भू-भाग है व उक्त आराजीययात में से जो पूर्व में बिलानाम सरकार दर्ज रेकर्ड थी। आराजी नम्बर 1497/3032 रकबा 0.20 हैक्टेयर भूमि अपीलान्ट के वसीयतकर्ता शब्बीर को आवंटित की गई व शेष भू-भाग पर अपीलान्ट के वसीयतकर्ता शब्बीर का कब्जा चला आ रहा था। शब्बीर ने अपने कोई वैधानिक वारिस नहीं होने से अपीलान्ट के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया व वसीयत से शब्बीर की सभी सम्पत्तियां अपीलान्ट को प्राप्त हुई और तब से वह उक्त आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बगैर बिना किसी जांच पड़ताल के अपीलान्ट के कब्जे काश्त की आराजीयात को भी रेस्पोडेंट-1 को आवंटित कर दी जो अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। उक्त आवंटन से अपीलार्थी के हक व अधिकार प्रभावित होते है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा-96 जादी के आवेदन के साथ अपील पेश की है। उक्त आदेश की जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी और न ही अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार था, आलौच्य आदेश परोक्ष पारित किया, जिससे उसे आदेश की जानकारी ससमय नहीं हुई, नकल प्राप्त किये जाने दौरान जानकारी प्राप्त होते ही अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश दिनांक 04.09.1990 को निरस्त फरमाये जाने का अनुरोध किया।

प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस व अपील मेमों के अंकित कथनों पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

सर्वप्रथम हम अपील के साथ के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना उचित समझते है। प्रार्थना पत्रों में वर्णित कारण पर विचार करने उपरान्त न्यायहित में अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी स्वीकार किया जाकर हस्तगत अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अपीलार्थी द्वारा आक्षेपित निर्णय परोक्ष रूप से पारित किये जाने का प्रमुख कारण अंकित किया जिससे न्यायहित में प्रस्तुत अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

हस्तगत अपील जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आदेश क्रमांक राजस्व/12-3(88)/2712-17 दिनांक 04.09.1990 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, जिसमें अपीलार्थी द्वारा प्रमुख आक्षेप यह प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजीयात में से आराजी संख्या 1497 रकबा 0.25 हैक्टेयर पूर्व में अपीलान्ट के वसीयतकर्ता शब्बीर पिता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 194/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/209) **मो.हनीफ के बजाय वारिसान बनाम राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खुदाबक्ष मुसलमान के खातेदारी का भू-भाग है व उक्त आराजीययात में से जो पूर्व में बिलानाम सरकार दर्ज रेकर्ड थी। आराजी नम्बर 1497/3032 रकबा 0.20 हैक्टेयर भूमि अपीलान्ट के वसीयतकर्ता शब्बीर को आवंटित की गई व शेष भू-भाग पर अपीलान्ट के वसीयतकर्ता शब्बीर का कब्जा चला आ रहा था। शब्बीर ने अपने कोई वैधानिक वारिस नहीं होने से अपीलान्ट के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया व वसीयत से शब्बीर की सभी सम्पत्तियां अपीलान्ट को प्राप्त हुई और तब से वह उक्त आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बगैर बिना किसी जांच पड़ताल के अपीलान्ट के कब्जे काश्त की आराजीयात को भी रेस्पोडेंट-1 को आवंटित कर दी। **इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के आक्षेपों का अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आलोक में अध्ययन एवं परिक्षण किया गया और पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कथन प्रमाणित/साबित नहीं होते है।**

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपशासन सचिव, राजस्व ग्रुप-3 विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र संख्या प-6(245)राज/ग्रुप-3/88 दिनांक 12.06.1989 के द्वारा प्राप्त स्वीकृति अनुसार ग्राम बसाड एवं बनेडियाखुर्द तहसील प्रतापगढ़ के विभिन्न आराजीयात (क्रमशः बसाड-1500, 1501, 1502, 1504, 1498, 1389, 1497, 1273, 1274, 1275 एवं बनेडियाखुर्द-2) की भूमि जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक राजस्व/आवंटन/12-3(41)88/1430 दिनांक 16.06.1988 के द्वारा प्रतापगढ़ में कृषि अनुसंधान उप केन्द्र की स्थापना हेतु राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर को विभिन्न शर्तों के अधीन आवंटन की गई थी। तत्पश्चात् पूर्व आदेश दिनांक 16.06.1989 के क्रम में पूर्व आराजी नम्बर 1500 रकबा 1.25 हैक्टेयर में आंशिक संशोधन किया जाकर उसके बजाय आराजी नम्बर 1499 कुल रकबा 1.68 हैक्टेयर में से 1.25 हैक्टेयर भूमि का अनुसंधान के पक्ष के आवंटन किये जाने का जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ का आदेश क्रमांक राजस्व/12-3(88)/2712-17 दिनांक 04.09.1990 पारित किया, जो पूर्णतया विधिक सम्मत होने से पारित आदेश में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है और जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ का आवंटन आदेश क्रमांक राजस्व/12-3(88)/2712-17 दिनांक 04.09.1990 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(अंजलि राजोरिया)
I.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर